राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2025 अपील

(अतंर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976)

1. पारसमल पिता छोगा गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार थाणा, तहसील माण्डल हाल तहसील करेडा जिला भीलवाडा	बनाम
	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग, माण्डल जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी	–प्रत्यर्थी/विपक्षी

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेष 1976 विरूद्व निर्णय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 82/2017 दिनांक 18.10.2019

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय पेरोकार – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 प्रकरण संख्या 82/2017 विरूद्व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ग्राम थाणा, तहसील माण्डल में उचित मूल्य की दुकान खोलकर स्थानीय लोगों खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण करता है, इस हेतु प्राधिकृत कर प्राधिकार पत्र दे रखा है। इस केन्द्र को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं कुछ ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई। जिस पर प्रर्वतन निरीक्षक माण्डल द्वारा अपीलान्ट द्वारा संचालित उचित मुल्य की दुकान की दिनांक 10.06.2017 को जांच की गई। जहाँ पर दुकान खुली हुई मिली एवं अपीलान्ट राशन वितरण करते हुए मिला तथा शिकायतकर्ता संगठन के प्रतिनिधियो के समक्ष जांच आरम्भ की गई। जिसमें निम्न स्टॉक पाया गया:–

एन.एफ.एस गेहूं – 49.58 क्विंटल

चीनी – 1.86.500 क्विंटल

केरोसीन – 163.5 लीटर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर स्टॉक में 4.48 क्विंटल गेंहूँ कम होना बताया गया गया तथा उपभोक्ताओं से पुछताछ करने पर बताया की पॉश मशीन के वितरण की पर्चा नही दी जाती तथा दुकान में ई–सुची भी उपलब्ध नही पाई जाना बताया गया। इस आशंका के चलते गड़बड़ी होने के आसार बताते हुए तथा किसान शक्ति संगठन के द्वारा बनायी गयी उपभोक्ताओ की सुची अनुसार देय मात्रा से कम सामग्री का वितरण किया जाना बताया गया। अपीलान्ट की दुकान की जाँच में निम्न अनियमितता पाया जाना बताया गया :–

1– स्टॉक में 4.48 क्विंटल एन एफस का गेंहू कम पाया गया।
2– दुकान के बहार आवश्यक सूचना का प्रर्दशन नही पाया गया।
3– दुकान में ई–सूची उपलब्ध नही पाई गई।
4–डीलर द्वारा निरीक्षण के दौरान तो पॉश मशीन की पर्ची देते हुए पाया गया लेकिन पूर्व में नही देता था।
5–डीलर द्वारा राशन कार्ड में राशन सामग्री की मात्रा अंकित नही कि जाती है केवल दिनांक अंकित की जाती है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण केन्द्र थाणा के लिए जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,11,17–सी व 18 का उल्लंघन किया जाने से प्राधिकार पत्र सं. 860/05 को निलम्बित किये जाने एवं दुकान को दुसरे राशन डीलर मुकेश खटीक के अटेच की जाने की अनुशंसा की गई। जिस पर अपीलान्ट को जारी प्राधिकारपत्र को दिनांक 12.06.2017 को निलम्बित किया गया व जांच करने बाबत प्रकरण सं. 82/2017 दर्ज किया गया तथा दिनांक 12.06.2017 को ही अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.06.2017 को नोटिस का बिन्दूवार जवाब दिया गया तत्पश्चात प्रर्वतन अधिकारी माण्डल द्वारा दिनांक 14.09.2017 को अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान का दिनांक 01.09.2016 से 21.06.2017 तक की आमद व वितरण तथा अस्थाई डीलर को समलायी गई सामग्री की मात्रा का विश्लेषण किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा 294.88 क्विंटल गेंहू, 689 लीटर केरोसीन व 4.21.400 क्विंटल चीनी का दुरुपयोग किया जाना अंकित किया। तत्पश्चात अपीलान्ट को 4.48 क्विंटल की राशी बाजार मुल्य से राजकोष में जमा कराने हेतु कार्यालय पत्र दिनांक 10.07.2019 से निर्देशित किया गया। पत्र दिनांक 26.02.19 से पुनः निर्देशित किया गया तो डीलर द्वारा दिनांक 16.07.2019 को डीलर द्वारा जवाब प्रस्तूत कर उस पर लगे आरोपो का खण्डन किया तथा निवेदन किया की उसको

अति. जिला कलक्टर

पुर्व में नही देता था जो गलत है। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जब डीलर की दुकान का निरीक्षण किया गया उस समय सभी उपभोक्ताओ के पास पॉश पर्ची थी। पूर्व में पर्ची नही देने का अंकन उक्त रिपोर्ट में गलत किया गया। पुर्व में पर्ची नहीं देने की कोई जाँच नहीं की गई। अपीलान्ट बिना पर्ची के किसी उपभोक्ता को राशन सामग्री नही देता था। प्रर्वतन निरीक्षक ने अपनी जॉच रिपोर्ट में बताया की डीलर द्वारा राशन कार्ड में राशन सामग्री की मात्रा अंकित नही कि जाती है केवल दिनांक अंकित की जाती है जो गलत है। ऐसा कोई राशनकार्ड प्रर्वतन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के साथ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया फिर भी अधिनस्थ न्यायलय ने प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा बिना किसी साक्ष्य के पेश की गई रिपोट के आधार पर जिला रसद अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशी को जब्त सरकार करने का आदेश पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवादित निर्णय एंव आदेश पारित किया वह मात्र प्रवर्तन निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के आधार पर पारित किया जो गलत है। अपीलान्ट को बिन्दूवार सुनकर व साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय एवं आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन इस मामले में अधिनस्थ न्यायालय न तो अपीलान्ट को सुना एवं न ही साक्ष्य पेश करने का पूरा अवसर दिया। यदि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान करते तो अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य प्रस्तूत करता। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट को सही मानते हुए यह निर्णय एंव आदेश पारित किया है जो विधि समत्त न होकर खारिज होने योग्य है। प्राधिकार पत्र निरस्त करने के पश्चात अपीलान्ट के विरुद्ध राशन सामग्री को लेकर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही नही की जा सकती है फिर भी जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रर्वतन निरीक्षक ने दिनांक 25.07.2020 को उचित मुल्य की दुकान थाणा पर 150.90 क्विटल गेंहू अपीलान्ट से जबरन जमा करवा लिये तथा चीनी व केरोसीन भी शेष होना मानकर जमा कराने के लिए कहा गया। इसी तरह दिनांक 25.07.2020 को उचित मुल्य की दुकान मोटा का खेड़ा पर 264.79 क्विटल गेंहू अपीलान्ट से जबरन जमा करवा लिये। इस प्रकार कुल 415.769 क्विटल गेंहू अपीलान्ट से जबरन जमा करवा लिये जबकि अपीलान्ट को प्राप्त सम्पुर्ण सामग्री अपीलान्ट उपभोक्ताओ को वितरीत कर चुका था जिसका अंकन भी उपभोक्ताओ के राशन कार्ड एंव वितरण रजिस्टर में कर रखा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट की जानकारी

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर